निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 70/2024 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये पूजा शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी उदयपुरिया, तहसील आमेर, मालिक मेहता मिष्ठान भण्डार, टोडी मोड, हरमाडा घाटी, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी मय एलपीजी 04.300 किलोग्राम मय रेग्यूलेटर पाईप को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक **23.09.2024 को मैसर्स मेहता मिष्ठान भण्डार, टोडी मोड, हरमाडा घाटी जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से चाय बनाने के उपयोग में लिया जा रहा है।** जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के **आदेश दिनांक 26.09.2024** को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। **अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं हुआ।**
3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **मैसर्स मेहता मिष्ठान भण्डार, टोडी मोड, हरमाडा घाटी जयपुर पर श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर कुल 02 बीपीसी कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय 4.300 किलोग्राम एलपीजी क्षमता 14.2**

जिला कलक्टर
जयपुर

किलोग्राम के पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से ग्राहको के लिये चाय बनाई जा रही थी। मौके पर मैसर्स महादेव गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री छोटू बुनकर पुत्र श्री बद्रीनारायण बुनकर को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 04.300 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 23.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर **02 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 04.300 किलोग्राम पाये गये है।** घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय की जा रही थी। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **02 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 04.300 किलोग्राम** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक **26.09.2024 को** अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

कलक्टर जिला, ज...